कमिश्नर वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश

उपस्थिति :- श्री सुनील कुमार ,कमिश्नर ,वाणिज्य कर,उ0प्र0
प्रार्थी :- सर्वश्री गोयल डिस्ट्रीब्यूटर्स , 110 नटराजपुरम कमला नगर ,आगरा ।
प्रार्थना पत्र सं0 :- 11 / 2008
प्रार्थी की ओर से :- श्री अशोक शर्मा, अधिवक्ता फर्म ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- सर्वश्री गोयल डिस्ट्रीब्यूटर्स , 110 नटराजपुरम कमला नगर ,आगरा के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 15-01-08 को प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु प्रस्तुत किये गये है:-

'' एक्सरे फिल्म पर कर की दर क्या होगी ?"'

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर मुख्यालय के पत्र संख्या- 636 दिनांक 22-01-2008 से एडिशनल कमिश्नर (ग्रेड-1)वाणिज्य कर ,आगरा जोन आगरा से आख्या मॉगी गई जिसे उन्होनें अपने पत्र संख्या-3780 दिनांक 28-01-2008 से आख्या प्रेषित की है । प्रेषित आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि एक्सरे फिल्म चिकित्सीय उपकरण / डिवाइसेस की श्रेणी में नहीं आती है, अत: यह अवर्गीकृत रहेगी ।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि 19-2-08 पर कोई उपस्थित नहीं हुआ । इससे पूर्व दिनांक 28-01-08 को श्री अशोक शर्मा ,फर्म अधिवक्ता उपस्थित हुये, जिनके तर्को को मेरे द्वारा सुना गया था । उन्होनें तर्क किया था कि एक्सरे फिंल्म वास्तव में चिकित्सीय उपकरण / डिवाइसेस एंड इमप्लान्टस की श्रेणी में आनी चाहिए ।

4- मैनें पूर्व की तिथि पर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा एडिशनल कमिश्नर (ग्रेड-1)वाणिज्य कर ,आगरा जोन आगरा से प्राप्त आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया । जहॉ तक विद्वान अधिवक्ता के तर्को का सम्बन्ध है कि एक्सरे फिल्म उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या-केएनआई-2-3121/X1-9(197)-07-यू0पी0 अध्या0-37-2007-आर्डर-(14) दिनांक 24-12-2007 की अनुसूची -2 के भाग-क की क्रमांक-79 में आती है उचित एवं स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योकि यह प्रविष्टि निम्नप्रकार है:-

79	Medical equipment /devices & implants; **contact lens, spectacle frame, lenses, spectacles excluding sungoggles and sunglasses.**

उपरोक्त प्रविष्टि में चिकित्सीय उपकरण / डिवाइसेस एंड इमप्लान्टस को रखा गया है जब कि एक्सरे फिल्म इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती है। अत: कर दायित्व की दृष्टि से एक्सरे फिल्म अवर्गीकृत होने के कारण इस पर कर की दर 12.5% होगी ।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक :: 25 , फरवरी ,2008

ह0 25-2-08
(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com